Gen. No.

अपील संख्या 09/2016 श्रीमति कृष्णावती पत्नि तुंगनाथ निवासी मकान 81, गली न0 5 चक 3ई छोटी, एस.एस.बी. रोड , शिनगर, श्रीगंगानगर बनाम 1–राजेश मिश्रा पुत्र तुंगनाथ मिश्रा निवासी मकान न0 81, गली न0 5, चक 3 ई छोटी, एसएसबी रोड़, शिवनगर, श्रीगंगानगर 2–श्रीमति सुमन मिश्रा, राजेश मिश्रा पुत्र तुंगनाथ मिश्रा निवासी मकान न0 81, गली न0 5, चक 3 ई छोटी, एसएसबी रोड़, शिवनगर, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

08.05.2017

पत्रावली पेश हुई। रेस्पो0 राजेश मिश्रा उपस्थित है। अपीलार्थीया कृष्णावती उपस्थित नही है। रेस्पों0 श्रीमति सुमन मिश्रा उपस्थित नही है। उपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थीया कृष्णावती की ओर से लिखित बहस दिनांक 14.03.17 पेश की गयी है जिसमें अपीलार्थीया का यह कथन है कि उपखण्ड मजि0 श्रीगंगानगर द्वारा उसके प्रकरण सं0 19/2016 अन्तर्गत धारा 23 माता पिता व वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 का निर्णय दिनांक 29.06.2016 द्वारा उसका प्रा0 पत्र विधि विरूद्ध खारिज किया गया है। उनका आगे यह भी लिखित कथन है कि माता पिता की परिभाषा अधिनियम की धारा 2''घ'' में अंकित की गई है जिसके अनुसार माता पिता से अर्थ चाहे कोई वरिष्ठ नागरिक है या नही, माना जावेगा। अधिनस्थ न्यायालय ने धारा 5 की गलत तौर से अवधारणा लेकर उसका प्रा0 पत्र खारिज किया है जबकि उसका मामला धारा 2(ज) के अन्तर्गत नही आता है बल्कि धारा 2(घ) के अन्तर्गत का है। इसलिये 60 वर्ष की आयु की शर्त उस पर लागु नही होती है। उनका आगे यह भी लिखित कथन है कि विधवा माता की सम्पति पर पुत्र द्वारा नाजायज तौर पर कब्जा किया गया है जो उक्त अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत विभिन्न उच्च न्यायालय के निर्णयो के अनुसार अपीलार्थीया को कब्जा दिलाया जा सकता है। उनका आगे यह भी लिखित कथन है कि धारा 23 घरेलू हिंसा से महिलांओ का सरंक्षण अधिनियम 2005 का प्रकरण अपीलार्थीया के विरूद्ध गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है जिसमें अपीलार्थीया की सम्पति का कब्जा दिलाने का कोई प्रावधान नही है। अतः उसकी अपील स्वीकार की जावे और रेस्पोडेन्टस का उसकी सम्पति से अवैद्य कब्जा हटाया जावे।

इसके विपरीत रेस्पो0 राजेश मिश्रा का कथन है कि अपीलार्थीया की आयु 60 वर्ष से कम है इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उसे वरिष्ठ नागरिक न मानकर उसका प्रा0 पत्र सही रूप से खारिज किया गया है। उक्त निर्णय विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। उसकी आगे यह भी प्रार्थना है कि रेस्पों सं0 2 श्रीमति सुमन पुत्रवधु है जिसके विरूद्ध इस अधिनियम में कोई कार्यवाही नही हो सकती। उसका यह भी कथन है कि रेस्पो0 2 श्रीमति सुमन द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत एक प्रा0 पत्र मुख्य न्यायिक मजि0 के लगाया गया है जिसके बचाव में यह प्रा0 पत्र उपखण्ड मजि0 श्रीगंगानगर के समक्ष उसे विवादित मकान से बेदखल करने के लिए लगाया गया है। उसके द्वारा यह भी प्रार्थना की गयी है कि उसके पिता स्व0 तुंगनाथ मिश्रा एक सरकारी कर्मचारी थे और उनके देहान्त पर उनकी सर्विस का पैसा जो 2,70,000रूपया मिला था, उस पैसे से व अप्रार्थीगण द्वारा की गई मेहनत मजदूरी से इकठी की गई राशि से ही विवादित प्लाट खरीदा गया था और बाद में भी उसके द्वारा तीन लाख रूपये मकान खरीदने के लिए दिए थे और पिता की मृत्यु उपरान्त अपीलांटा उनके स्थान पर नौकरी लग गयी व ग्रेच्यूटी की समस्त राशि भी अपने पास रख ली और दूर संचार विभाग से 36,523रूपये वेतन व 10,000रूपये से अधिक पेन्शन प्राप्त कर रही है। इसलिए वह किसी प्रकार का भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार नही है और न ही उक्त मकान से अप्रार्थीगण को बेदखल करने का कोई अधिकार है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उसका प्रार्थना पत्र सही रूप से खारिज किया गया है। अतः उसकी अपील भी खारिज की जावे।

मैने दोनो पक्षो के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि यह अपील अपीलार्थीया द्वारा उपजिला मजि0 श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 29.06.2016 के विरूद्ध पेश की गयी है। अपीलार्थीया ने उपजिला मजि0 श्रीगंगानगर कि समक्ष एक प्रा0 पत्र दिनांक 15.06.2016 का अन्तर्गत धारा 23 एवं 4, 5 माता पिता व वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत इस आश्य का प्रस्तुत किया कि वह एक 57 वर्ष की वृद्ध औरत है और वरिष्ठ नागरिक है तथा चक 3ई छोटी शिवगनर श्रीगंगानगर की रहनेवाली है तथा बी.एस.एन.एल में सहायक कर्मचारी है। अप्रार्थी सं0 1 राजेश मिश्रा उसका पुत्र है व अप्रार्थी सं0 2 श्रीमति सुमन उसकी पुत्र वधु है तथा चक 3ई छोटी के मु0न0 41/43 कि0न0 10 में प्लाट संख्या 81 पैमायशी 20 गुणा 60 फुट जो उसका स्वयं का ईकरारनामा से खरीद शुदा है और जिसमें एक कमरा व रसोई पर रेस्पोडेन्टस ने कब्जा कर रखा है जो उनके कब्जे से मुक्त करवाया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दोनो पक्षो की सुनवाई के उपरान्त निम्न आदेश पारित किया गया है जो ऑर्डर शीट के अनुसार दिनांक 29.06.2016 का है:–

> हमने प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र मय सलंग्न दस्तावेजात एवं अप्रार्थीगण के जबाब का अवलोकन किया एवं उभयपक्षों को सुना गया। प्रार्थीया स्वयं ने माना है कि बीएसएनएल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति से कार्यरत है और मेरी उम्र 56 वर्ष के करीब है। लिखित बहस में मकान ईकरारनामा से खरीद शुदा है। अप्रार्थी शराब को सेवन करता है। वह अप्रार्थीया सं0 2 उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पुत्रवधु से भरणपोषण की मांग नही कर सकती है। पुत्रवधु श्रीमति सुमन पत्नि राजेशकुमार जाति मिश्रा ब्राम्हण के द्वारा माानीय अपर मुख्य न्यायिक मजि0 श्रीगंगानगर के न्यायालय में अन्तर्गत धारा 23/2/घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरंक्षण अधिनियम 2005 के अन्तर्गत वाद दिनांक 30.03.2016 को दायर किया हुआ है। जिसमें उसके द्वारा मकान न0 1 वाके 3 ई छोटी गली नम्बर 5 नजदीक खाटू श्याम मन्दिर एस एस बी रोड श्रीगंगानगर से जबरन व बलपूर्वक बेकब्जा करने से निषेधित व अवरूद्ध रहने तथा आवास संबंधी सुविधा उपयोग व उपभोग में हस्तक्षेप न करने हेतु निवेदन किया है। वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम 2005 की धारा 5 के अन्तर्गत प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण से कब्जा मुक्त करवाये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थीया को भरण पोषण हेतु पर्याप्त राशि उसे वेतन व पेन्शन की मिल रही है। मकान के संबंध में सक्षम न्यायालय में पुत्रवधु सुमन मिश्रा के द्वारा वाद दायर किया हुआ है। अन्तिम निर्णय सक्षम न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजि0 श्रीगंगानगर का होना है। अतः प्रार्थीया वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में नही आती है क्योंकि प्रार्थीया की उम्र अभी वरिष्ठ नागरिक हेतू 60 वर्ष पूर्ण नही हुए है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मकान खाली करवाये जाने के संबंध में सक्षम न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने से तथा प्रार्थीया वरिष्ठ नागरिक नही होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपीलार्थीया ने अधिनस्थ न्यायालय में उक्त अधिनियम 2007 की धारा 23 व 4, 5 के अन्तर्गत एक प्रा0 पत्र दिनांक 15.06.2016 का पेश करके प्रार्थना की है कि चक 3ई छोटी के मु0न0 41/43 कि0न0 10 में प्लाट संख्या 81 पैमायशी 20 गुणा 60 फुट जो उसका स्वयं का ईकरारनामा से खरीद शुदा है और जिसमें एक कमरा व रसोई पर रेस्पोडेन्टस ने कब्जा कर रखा है जो उनके कब्जे से मुक्त करवाया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है अथवा नही? इस संबंध में माता पिता वं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के निम्न प्रावधानो पर विचार करना आवश्यक है:–

चूंकि अपीलार्थीया ने अपनी उक्त सम्पति से रेस्पोडेन्टस/अप्रार्थीगण को बेदखल करने के लिए धारा 23 के अन्तर्गत प्रार्थना की है। उक्त धारा 23 निम्न प्रकार से है:–

> **23. कुछ परिस्थितियों में सम्पति का अन्तरण शून्य होगा:**–(1) जहां किसी वरिष्ठ नागरिकत ने जिसने इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात दान द्वारा या अन्यथा अपनी सम्पति का अन्तरण इस शर्त के अधीन किया है कि अन्तरिती अन्तरक को मूलभूत सुविधाओं और मूलभूत शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा और ऐसा अन्तरिति ऐसी सुविधाओ और शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने से ईन्कार करता है या असफल रहता है, वह सम्पति इस प्रकार उक्त अन्तरण कपट या प्रपीड़न द्वारा या असभयक असर के अधीन किया गया माना जाएगा और अन्तरक की वांछा पर अधिकरण द्वारा शून्य घोषित किया जायेगा।

उक्त धारा के अन्तर्गत राहत प्राप्त करने के लिए आवेदक वरिष्ठ नागरिक हो और उसके द्वारा उक्त अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात दान द्वारा या अन्यथा अपनी सम्पति का इस शर्त के अधीन अन्तरण किया हो कि अन्तरिति अन्तरक को मूलभूत सुविधांओ और मूलभूमत शारिरिक आवश्यकतांओं को पूर्ण करेंगा।

इस मामले में यह देखा जाना आवश्यक है कि क्या अपीलार्थीया उक्त अधिनियम 2007 के अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आती है अथवा नही? यदि वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आती है तो क्या वह रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। इस संबंध में अधिनियम में दी गई वरिष्ठ नागरिक/माता–पिता व संतान की परिभाषा पर विचार करना आवश्यक होगा:–

धारा 2(ज) "वरिष्ठ नागरिक" से ऐसा व्यक्ति, जो भारत का नागरिक है और जिसने 60 वर्ष या अधिक की आयु प्राप्त कर लिया है अभिप्रेत है।

धारा 2(छ) "सम्बन्धी" से अभिप्रेत है सन्तानहीन वरिष्ठ नागरिक का कोई विधिक उतराधिकारी, जो अवयस्क नही है और उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी सम्पति का कब्जाधारी में या को उतराधिकार में प्राप्त करेगा।

धारा 2(घ) "माता–पित" से ऐसे माता या पिता अभिप्रेत है, जो जैविक, दत्कग्राही या सौतेला पिता या सौतेली माता, यथास्थिति, हो, चाहे पिता या माता वरिष्ठ नागरिक है या नही।

धारा 2(क) "सन्तान के अन्तर्गत पुत्र, पुत्री, पौत्र और पौत्री सम्मिलित है किन्तु अव्यस्क सम्मिलित नही है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थीया कृष्णावती ने माता के रूप में धारा 23 व 4, 5 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र अपने पुत्र अप्राथी/रेस्पो0 सं0 1–राजेश मिश्रा व अप्रार्थी/रेस्पो0 सं0 2 सुमन मिश्रा पुत्र वधु के विरूद्ध अपने उक्त मकान से अवैद्य कब्जा हटवाने के लिए पेश किया था जिसमें अपीलार्थीया की आयु वरिष्ठ नागरिक हेतु 60 वर्ष पूर्ण न होने के कारण उसे वरिष्ठ नागरिक न मानकर उसका प्रार्थना पत्र खारिज किया है जो **अधिनियम की धारा 2(घ) के विपरीत है। उक्त धारा के तहत वरिष्ठ नागरिक हेतु निर्धारित 60 साल की आयु माता पिता के लिए होना आवश्यक नही** है। इसलिए उपजिला मजि0 श्रीगंगानगर का यह निष्कर्ष कि **अपीलार्थीया वरिष्ठ नागरिक नही है, सही नही है।**

जहां तक अप्रार्थी/रेस्पो0 सं0 2–सुमन मिश्रा पुत्रवधु के विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न है, अधिनियम के अन्तर्गत माता पिता अपनी संतान के विरूद्ध ही कार्यवाही करने के लिए सक्षम है। धारा 2(क) में संतान की दी गई परिभाषा के अनुसार पुत्र, पुत्री, पौत्र, पौत्री सम्मिलित है। **इस प्रकार स्पष्ट है कि संतान की परिभाषा में पुत्रवधु सम्मिलित नही है। इसलिए अप्रार्थी/रेस्पो0 सं0 2–सुमन मिश्रा पुत्रवधु के विरूद्ध इस अधिनियम के तहत कोई कार्यवाही नही की जा सकती।** माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 सीआर.एल.आर. (एससी) पेज 726 स्टेट आफ बिहार आदि बनाम अरविन्द्रकुमार वगैरा के पैरा 13 में निम्न प्रकार से निर्देश दिये गये है:–

> 13. In Manish Goel Vs. Rohini Goel, AIR 2010 SC 1099,
> This Courts has held that generally, no Courts has competence to issue a direction contrary to law nor the court can direct an authority to act in contravention of the statutory provisions. The Courts are meant to enforce the rule of law and not to pass the orders or directions which are contrary to what has been injected by law . [See also- Vice Chancellor , university of Allahabad & Ors.Vs. Dr. Anand prakash Mishra & Ors. (1997) 10 SCC: and Karnataka State Road Transport Corporations Vs. Ashrafulla Khan & Ors.; AIR 2002 SC 629]

चूंकि रेस्पो0 2 सुमन मिश्रा जो कि पुत्र वधु है और वह उक्त अधिनियम 2007 में दी गई संतान की परिभाषा में नही आती है, के विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त में दिये गये मार्गदर्शन के अनुसार भी किसी अधिनियम के प्रावधानो के विपरीत कोई आदेश नही दिये जा सकते। **इसलिए अपीलार्थीया, रेस्पो0 सं0 2–सुमन मिश्रा पुत्र वधु के विरूद्ध उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कोई कार्यवाही करने के लिए सक्षम नही है। इसलिए संतान की परिभाषा के तहत केवल अप्रार्थी/रेस्पों0 1–राजेश मिश्रा के विरूद्ध ही कार्यवाही की जा सकती है।** इसलिए अपीलार्थीया की अपील अप्रार्थी/रेस्पो0 सं0 1 राजेश मिश्रा के विरूद्ध ही आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीया की अपील रेस्पों0 सं0 1 राजेश मिश्रा के विरूद्ध आंशिक रूप रूप से स्वीकार की जाकर उपजिला मजि0 श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश 29.06.2016 निरस्त किया जाता है और प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उक्त किये गये विवेचन को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 23 व 4, 5 पर अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार ही **अप्रार्थी सं0 1–राजेश मिश्रा के हद तक पुनः विचार कर** और प्रार्थीया व अप्रार्थी सं0 1 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर पुनः निर्णय पारित किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रति सहित पालना के लिए वापिस लौटाया जावे। आदेश की एक एक प्रति अपीलार्थीया व रेस्पोडेन्टस को भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर